



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)  
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

**विषय- सुरक्षा / सफाई / बागवानी / सब-स्टाफ / दैनिक मजदूरों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल ) की सेवायें प्रदान करने हेतु कोटेशन का आमंत्रण**

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एक रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत केन्द्रीय वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है।

2. केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर प्रतिष्ठित /पंजीकृत/ सेवा प्रदाता फर्म से सुरक्षा / सफाई / बागवानी / सब-स्टाफ / दैनिक मजदूरों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल ) हेतु व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए मोहरबंद तुलनात्मक कोटेशन / बोली आमंत्रित करता है जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक होगी।

- क- विद्यालय का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल(तल व खुला) 4.0 एकड़ (लगभग)  
सभी तलों (भूतल एवं प्रथम) में 41 कमरे और 08 प्रसाधन कमरें  
कोरीडोर, सीढ़ियाँ और भूतल का चारो ओर का खुला स्थान। पार्टियों को सलाह दी जाती है कि स्थान को देख लें।
- ख- विद्यालय का पता- केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर, सिविल लाइन, निकट सरोजिनी वाटिका , सीतापुर 261001
- ग- विद्यालय दो पालियों का है, जिसका कुल सामान्य कार्य समय प्रातः 07.00 से सायं 06.00 बजे सोमवार से शनिवार तक छह दिनों के लिए है।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

## 3. व्यक्तियों (Man power) की आवश्यकता-

क्र०सं०	मेन पावर की श्रेणी	संभावित संख्या	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/ अनुभव	कार्यवधि	कार्य एवं दायित्व
1	सुरक्षा गार्ड	3	मिडिल स्तर एवं सम्बन्धित कार्य का ज्ञान	6:00 AM to 2:00 PM 2:00 PM to 10:00 PM 10:00 PM to 6:00 AM	विद्यालय परिसर (भवन एवं प्रांगण ) के अंदर / बाहर की सुरक्षा प्रदान करना एवं आगंतुक-रजिस्टर तैयार करना । आगंतुको के पहचान पत्र की जाँच करना ।
2	सफाई कर्मचारी (पुरुष व महिला )	4	प्राथमिक/मिडिल स्तर एवं सम्बन्धित कार्य का ज्ञान	प्रथम पाली हेतु 6:00 AM to 2:00 PM द्वितीय पाली हेतु 11:00 AM to 7:00 PM	केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर के सम्पूर्ण परिसर ( कमरों, सीढियों, बरामदों, शौचालयों, मैदान, साईकिल स्टैंड, रास्तों, खुले क्षेत्र, खिड़की-दरवाजे, ग्लास, पंखे, फ़र्नीचर, उपकरणों आदि) के अंदर / बाहर की सफाई करना ।* (कार्यों का विस्तृत उल्लेख नीचे दिया गया है )
3	माली	1	प्राथमिक/मिडिल स्तर एवं बागवानी का ज्ञान	08-00 प्रात से 05-00 सायं (1 घंटे का भोजनावकाश सहित )	विद्यालय के बगीचे, पेड़-पौधों, क्यारियों एवं गमलों आदि की देखभाल करना (सिंचाई, निराई-गुड़ाई, पौधों का रोपण, उर्वरक डालना, झाड़ियों एवं पौधों की कांट-छांट, बगीचे का सौंदर्यीकरण करना आदि सम्मिलित है ।** (कार्यों का विस्तृत उल्लेख नीचे दिया गया है )
4	सब-स्टाफ	4	हाई स्कूल एवं कार्यालयी कार्य का ज्ञान	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सब स्टाफ के लिये निर्धारित एवं निर्देशित कार्य ।
5	दैनिक मजदूरों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल )	आवश्यकता पड़ने पर	सम्बन्धित कार्य का ज्ञान	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित	प्राचार्य एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये कार्य को उचित एवं सुरक्षित तरीके तथा गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा करना ।

**नोट :-** 1. ऊपर दिए गये कार्यों एवं दायित्वों के साथ ही प्राचार्य एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर कर्मियों से सम्बन्धित दिये गये अन्य कार्यों को उचित एवं सुरक्षित तरीके तथा गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा करना ।

2. कर्मियों की दर्शायी गयी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है । इस हेतु विद्यालय सम्पूर्ण अधिकार अपने पास रखता है ।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

**\* सफाई कर्मियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व**

क - दैनिक किये जाने वाले कार्य :-

- 1) विद्यालय भवन और इसके आसपास के समस्त क्षेत्र की सफाई करना तथा समस्त फालतू सामान एकत्र करना एवम् केविसं के निर्देशानुसार उसका निपटान करना।
- 2) कमरों को मच्छरों, मक्खियों आदि से बचाने के लिए विशेष रूप से बरामदा, सीढ़ियों तथा स्वागत कक्ष आदि जैसे क्षेत्रों में विद्यालय के खुलने से पूर्व एक बार तथा उसके हर दो घण्टे बाद फर्श को गीले पोंछा और कीटनाशक डिटरजेन्ट से साफ करना।
- 3) प्रसाधन कक्ष टायलेट तथा यूरिनल डियोडरेन्ट्स को डिटरजेन्ट तथा कीटनाशकों आदि से एक बार प्रातः तथा दोपहर बाद दुबारा या विद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार साफ करना तथा धोना।
- 4) कालीन, दरियों, अधिकारी कक्ष आदि की वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई।
- 5) विद्यालय की चाहरदीवारी के भीतर खुले स्थान, सड़कों, पैसेज, लॉन आदि की सफाई करना तथा झाड़ू लगाना।
- 6) विद्यालय खुलने से पहले कार्यालय के फर्नीचर (मेज और कुर्सी) तथा उपकरणों, दूरभाष, बुक केस, फाइल कैबिनेट, अलमारी और दरवाजे तथा खिड़कियों तथा कार्यालय के अन्य सभी कमरों तथा अन्य स्थानों की नियमित रूप से रोजाना धूल साफ करनी/ सफाई करनी।
- 7) टायलेट में साबुन तथा तरल साबुन की व्यवस्था करना तथा यूरिनलों में पर्याप्त संख्या में नेपथ्यालिन बाल तथा ओडोनिल केक की व्यवस्था करना।
- 8) सफाई के लिए आवश्यक सामग्री विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 9) ट्रेप बोटल ट्रेप गली ट्रेप आदि जैसे सेनेटरी उपकरणों के बन्द होने पर उनकी शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कार्रवाई की जाए।
- 10) जी.आई. तथा सी.आई. पाइपों के लीक (रिसाव) होने संबंधी सभी शिकायतों पर 24 घण्टे के भीतर कार्रवाई की जाए।
- 11) डेजर्ट कूलर्स, वाटर कूलर्स में पानी भरना।
- 12) ग्रीष्म ऋतु में डेजर्ट कूलर्स में प्रत्येक शनिवार को मिट्टी का तेल डालना और डेजर्ट कूलर्स के वाटर टैंक की प्रत्येक सप्ताह सफाई करना। प्रयोग में न आने पर साफ करके रखना।

ख- सामान्यतः सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्यों की मदें :-

- 1) फर्श को डिटरजेन्ट तथा धूल हटाने वाले पदार्थ से साफ करना तथा रगड़ना।
- 2) सेनेटरी वैड्स को एसिड से इस तरह साफ करना कि इसकी चमक खराब न होने पाए।
- 3) सर्फ अथवा कोई उपयुक्त डिटरजेन्ट इस्तेमाल करके, जिसे आवश्यक समझा जाए फर्श, दरवाजों तथा पार्टीशनो पर पड़े निशान को हटाना।
- 4) बरामदा तथा सीढ़ियों में रखे गए सामान को हटाना।
- 5) जल संग्रहण टंकी तथा वाटर कूलरों, यदि कोई हो, की सफाई करना।
- 6) पीतल के नामपट्ट तथा नम्बर प्लेटों की पालिश करना तथा अन्य सभी नाम पट्ट/बोर्डों को साफ करना।
- 7) पंखों, विद्युत के सामान, खिड़की के शीशे आदि को ग्लास क्लीनिंग रसायनों / पदार्थों से साफ करना / धूल हटाना एवं पार्टीशन पैनलों आदि को साफ करना।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

## \*\* माली के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- 1) विद्यालय के बगीचे/पेड़-पौधों की देखभाल करना, जिसमें पौधों की सिचाई, निराई-गुड़ाई, उर्वरक डालना, झाड़ियों की कांट-छांट एवं पौधों की कांट-छांट आदि सम्मिलित है।
  - 2) विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधों को चयनित स्थानों पर लगाना।
  - 3) बगीचे/क्यारियों की साफ-सफाई रखना।
  - 4) बगीचे का सौंदर्यीकरण करना।
  - 5) गमलों का रख-रखाव (पुताई कार्य भी), उनमें पौधे लगाना, सिचाई करना, उचित स्थान पर उन्हें रखना आदि सम्मिलित है।
  - 6) बागवानी कार्य हेतु गमले, पौधे, उर्वरक, आवश्यक उपकरण आदि की आपूर्ति विद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 3- उद्धरित (Quoted Price) कीमत-

- (क) बोली बोलने वाला मासिक (न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित) पारिश्रमिक, ईपीएफ, इएसआई, और अन्य सांविधिक कीमत एवं सेवा प्रभार केवल कोटेशन में संलग्न प्रपत्र में उद्धरित करेगा। (संलग्नक- अ एवं ब)
- (ख) सेवा प्रभार कर और इस प्रकार के अन्य कर मुवक्किल द्वारा अदा होने हैं। इसका उद्धरण बोली बोलने वाला अलग से करेगा।
- (ग) संविदा अवधि के लिए उद्धरित दरें स्थिर होंगी और सिवाय सांविधिक प्रावधानों को छोड़कर समायोजित नहीं होंगी। यदि सांविधिक प्रावधानों के कारण दरों में बदलाव होता है तो केवल इस प्रकार का बदलाव स्वीकार होगा और अन्य कोई अतिरिक्त देनदारी यथा- लाभ का प्रतिशत, सेवा प्रभार आदि। बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करते समय विशेषतया इस संदर्भ में दरें आदि उद्धरित करेगा।
- (घ) बोली लगाने वाला बिड के साथ प्रतिभूत धनराशि (EMD) के रूप में 15,000/- ₹0 का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर, के पक्ष में सीतापुर पर देय जमा करना होगा। असफल बोली लगाने वालो की प्रतिभूत धनराशि संविदा खुलने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोली लगाने वाले की प्रतिभूति धनराशि प्रदर्शन प्रतिभूति में शामिल कर दी जाएगी।
- (ङ) चयनित फर्म प्रदर्शन प्रतिभूति (Performance Deposit) बैंक गारंटी चेक / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹0 15,000/ (पन्द्रह हजार रूपए) सुरक्षा कार्य, ₹0 15,000/ (पन्द्रह हजार रूपए) सफाई कार्य, ₹0 15,000/ (पन्द्रह हजार रूपए) सब-स्टाफ एवं ₹0 5,000/ (पांच हजार रूपए) बागवानी कार्य हेतु अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे। [दैनिक मजदूरों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल) हेतु चयनित फर्म को कोई प्रदर्शन प्रतिभूति बैंक गारंटी जमा नहीं करनी है। प्रदर्शन प्रतिभूति संविदा मिलने के 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी जो कि संविदा मिलने के बाद 30 जून 2016 तक वैध होगी।
- (च) निविदा करनेवाली फर्म का कार्यालय उत्तरप्रदेश राज्य में स्थित होनी चाहिए।
- (छ) टैलेक्स या फेसीमाइल बिडस् मान्य नहीं हैं।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

4- प्रत्येक बिडर एक बिड ही प्रस्तुत करेगा।

5- बिड की वैधता-30 जून 2016 तक वैध होगी।

6- नियम और शर्तें-

(क) मजदूरी चैक के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय परिसर में केन्द्रीय विद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरित होगी।

(ख) करार करने वाली एजेंसी अपने कर्मचारियों को प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 05 तारीख को बिना किसी कटौती के उद्धरित मासिक मजदूरी/दैनिक मजदूरी का चैक के माध्यम से कार्यालय परिसर में भुगतान सुनिश्चित करे।

(ग) करार करने वाली एजेंसी अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के बाद साक्ष्य के रूप में तीन प्रतियों में इनवाइस/ बिल निम्नलिखित दस्तावोजों के साथ प्रस्तुत करें-

1- स्टाफ को प्रत्येक भुगतान करने के चैक विवरण प्रस्तुत करना।

2- सांविधिक भुगतान का साक्ष्य यथा- इपीएफ, इएसआई, सेवाकर और अन्य कोई लागू कर।

(घ) करार करने वाली एजेंसी अपने सभी नियुक्त कर्मचारियों को माँगकर्ता कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र उपलब्ध कराएगी जो कि करार की अवधि तक वैध रहेंगे। विद्यालय में नियुक्ति से पूर्व एजेंसी का यह दायित्व होगा कि नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के चरित्र, कार्य व्यवहार आदि की जाँच कर ले। किसी प्रकार की गैर कानूनी या असामाजिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति की नियुक्ति किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी गलत व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसके लिये एजेंसी जिम्मेदार होगी।

(ङ) करार करने वाली एजेंसी सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करेगी। वास्तविक गणना के अनुसार छोटे अंतर मुवक्किल वहन करेगा।

(च) निविदा करने वाली एजेंसी को सीतापुर, उ०प्र० में संचालन हेतु सक्षम अधिकारी से व्यक्तिगत सुरक्षा एजेंसी चलाने की लाइसेंस की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर बिड निरर्ह/ गैर जिम्मेदाराना मानी जाएगी।

(छ) विद्यालय अतिरिक्त मेनपावर की माँग करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखता है। करार करने वाली एजेंसी को अतिरिक्त मेनपावर के लिए उद्धरित दर के अनुसार क्षतिपूर्ति होगी।

(ज) यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी गणना निम्न सूत्र से की जाएगी-

ए1= मासिक (न्यूनतम मजदूरी)पारिश्रमिक x अनुपस्थित दिनों की संख्या

महीना के दिनों की संख्या



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

- (झ) यदि कोई कर्मी विद्यालय द्वारा हटाया जाता है तो करार करने वाली एजेंसी को शीघ्रता से अर्थात् 24 घंटे के अंदर उसके स्थानापन्न की व्यवस्था करनी होगी। अनुपस्थिति/ अनुपयुक्तता की स्थिति में 24 घंटे के अंदर अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन किया जाए।
- (ञ) करार करने वाली एजेंसी से कार्यालय के साथ तैयार संदर्भ के लिए संलग्न आदर्श अनुबंध के अनुसार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। बिड दस्तावेज में वर्णित अन्य नियम व शर्तें और स्वीकृत बिड आदर्श करार के हिस्से के रूप में होंगी।
- (ट) यदि कोई नुकसान, चोरी, तोड़फोड़ नियुक्त कार्मिक के द्वारा की जाती है, तो विद्यालय के पास करार एजेंसी से नुकसान की वसूली का दावा करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (ठ) करार करने वाली एजेंसी द्वारा कर्मियों को नियुक्त करने से पहले कामगारों का पूर्ववृत्त पुलिस से सत्यापित करके कार्य और साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करना है।
- (ड) करार करने वाली एजेंसी कार्य विशेष के लिए प्रशिक्षित / व्यवसायिक सुरक्षा गार्ड / पर्यवेक्षक, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो अर्थात् शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सतर्क हों उनकी तैनाती करेगी। सुरक्षा कार्य हेतु भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाए।
- (ढ) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करे कि तैनात किए गए कर्मियों (व्यक्तियों) को कोई संचारी रोग/ संक्रमित बीमारी न हो।
- (ण) करार करने वाली एजेंसी अपने कार्मिकों को पूरे वर्ष मौसम एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप आवश्यक एवं साफ-सुथरी यूनीफार्म उपलब्ध कराएगी।
- (त) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करे कि तैनात किए गए कर्मियों (व्यक्तियों) का विद्यालय में कार्य-व्यवहार सर्वथा शिष्ट एवं मर्यादित हो। बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू-मसाला, पान, शराब आदि का सेवन पूर्णतया वर्जित है।
- (थ) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करे कि तैनात किए गए कर्मियों (व्यक्तियों) का विद्यालय में कार्य-व्यवहार सर्वथा शिष्ट एवं मर्यादित हो। छात्र-छात्राओं, विद्यालय के कर्मचारियों एवं आगंतुकों से बात-चीत करते समय एवं अन्य किसी प्रकार का व्यवहार करते समय के०वि०सं० द्वारा निर्धारित एवं अपेक्षित मानकों का पालन किया जाना चाहिए। यदि इस सन्दर्भ में किसी प्रकार के औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो एजेंसी इसकी व्यवस्था स्वयं करेगी, और इसकी सूचना विद्यालय को देगी।
- (द) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करेगी की तैनात किये गये कर्मी किसी प्रकार की अवांछनीय, गैरकानूनी एवं असामाजिक गतिविधियों में विद्यालय परिसर या उसके बाहर न संलिप्त हों। यदि कोई कर्मी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाया जायेगा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

- (ध) करार करनेवाली एजेंसी को केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में बनाये गये नियमों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें समय पर सेवा कर, ई एस आई, ई पी एफ आदि से जुड़ी देनदारियां जमा करनी होगी और इस सन्दर्भ में आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र विद्यालय में जमा करने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विद्यालय के पास निविदा को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।
- (न) कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में एजेंसी द्वारा ही उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। यदि एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व भी एजेंसी का होगा।
- (प) एजेंसी अपने स्टाफ का आकस्मिक निरीक्षण करेगी।

## 7- बिड का मूल्यांकन:

(i)- यदि निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते हैं तो बिड गैर उत्तरदायी मानी जाएगी:-

- (क) कम्पनी संक्षिप्त प्रोफाइल और बिडर इसी तरह के करार को सफलतापूर्वक सम्पादित करने के साक्ष्य के रूप में पिछले तीन वर्ष के रिटर्न प्रस्तुत करें। (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)
- (ख) लेखा परीक्षित बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि का लेखा। (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)
- (ग) विगत 3 वर्ष के दौरान ग्राहकों की सूची, दिए गए कार्यों के साथ। (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)
- (घ) पैन सं० और वर्तमान आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र। (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)
- (ङ) ईपीएफ पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (च) ईएसआई पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (छ) सेवाकर पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ii) बिडर बिड प्रस्तुत करने के समय 135 दिनों के लिए वैध रू० 15000 की बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करे या केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर के पक्ष में डीडी/ पे आर्डर प्रतिभूति राशि के रूप बिड के साथ प्रस्तुत करे। करार के घोषित होने के बाद असफल बिडर को प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी।

(iii) स्टाफ का पारिश्रमिक, अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल, लिपिकीय और अतकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ, के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार व उ०प्र० सरकार में लागू न्यूनतम पारिश्रमिक दरों में उच्च पारिश्रमिक मान्य होगा।

(iv) सभी मदों को एक साथ मूल्यांकन होगा। इंडेंटिंग अधिकारी न्यूनतम मूल्यांकित बिडर को करार देगा।



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)  
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

## 8- निविदा को प्रदान करना-

- (क) माँगकर्ता उस बिडर को बिड देगा जिसकी बिड पैरा 7 के अनुसार न्यूनतम कीमत होगी।
- (ख) माँगकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि करार देते समय में निर्धारित किये गये व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है।
- (ग) माँगकर्ता द्वारा जिसकी बिड करार के लिए स्वीकार्य होगी उसकी बिड की वैधता अवधि के समापन से पूर्व बिडर को अधिसूचित करेगा।
- (घ) उपर्युक्त बातों के होते हुए, माँगकर्ता सभी या किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और किसी भी समय करार देने से पूर्व बिडिंग प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।
- (ङ) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जनपद न्यायालय सीतापुर का न्यायाधिकार-क्षेत्र लागू होगा।

## 9- बिड के प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय-

आपसे अनुरोध है कि मुहर बंद बिड प्रस्तुत की जाए जिसके लिफाफे के ऊपर "केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर में सुरक्षा / सफाई / बागवानी / सब-स्टाफ / दैनिक मजदूरों (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल) की सेवायें प्रदान करने हेतु कोटेशन" प्रस्तुत लिखा जाए। बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 जून 2015 होगी और उसी दिन अर्थात् 22 जून 2015 को ही बिडर की उपस्थित में अपराह्न 12.30 बजे कार्यालय में बिड खोली जाएगी। यदि मुहर बंद बिड प्रस्तुत करने के दिन और खोलने के दिन छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस में मुहर बंद बिड / प्रस्तुत खोली जाएगी अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगे। निविदा दस्तावेजों के साथ प्रतिभूति धनरीशि रु० 15,000 /- ( पन्द्रह हजार रु मात्र) जमा करनी होगी।

संलग्नक- यथोपरि।

(सुनील कुमार)  
प्राचार्य





(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)  
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

## निविदा-दाता के बारे में आवश्यक जानकारी

क्र०सं०	मद	तथ्य
1	फ़र्म का नाम व पूरा पता (फोन, ई मेल सहित )	
2	फ़र्म स्वामी का नाम एवं पता	
	Authorized signatory (अधिकृत व्यक्ति) का नाम एवं पता (यदि है तो)	
3	स्वामित्व का प्रकार (एकल स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम...)	
4	फ़र्म पंजीकरण सं० एवं वैधता अवधि (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
5	पैन सं० और वर्तमान आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
6	ईपीएफ पंजीकरण सं० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
7	ईएसआई पंजीकरण सं० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
8	सेवाकर पंजीकरण सं० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
9	श्रम विभाग द्वारा जारी लाइसेंस सं० एवं वैधता अवधि (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
10	सुरक्षा गार्ड के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सं० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )	
11	एजेसी द्वारा करारबद्ध कर्मियों की संख्या	
12	पिछले 2 वर्षों के महत्वपूर्ण करारों का विवरण (स्व प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें )	



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

संलग्नक - अ

## निविदा प्रपत्र

(सभी अंक रू० में)

क्र०सं०	मेन पावर की श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक	ईपीएफ दर (यदि लागू हो)	ईएसआई दर (यदि लागू हो)	सेवा कर (यदि लागू हो)	सेवा प्रभार/ यूनीफार्म प्रभार / बोनस आदि ओवरहेड लाभ सहित	कुल मासिक मजदूरी (कालम 3 +4 +5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा गार्ड						
2	सफाई कर्मचारी (पुरुष व महिला)						
3	माली						
4	सब-स्टाफ						

**नोट- यदि इकाई दर और कुल कीमत में विसंगति है तो इकाई दर प्रभावी होगी।**

हमने निविदा अभिलेख में दी गयी शर्तों आदि को विधिवत अध्ययन कर लिया है। मैं मेनपावर की सेवा देने के लिए सहमत हूँ और बिड दस्तावेज में दी गई नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार हूँ और संलग्न प्रपत्र में दिए गए करार से पूर्णतः सहमत हूँ।

मेरी एजेंसी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों /किसी भी प्रकार के संस्थान या कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है और ना ही किसी प्रकार का आपराधिक मामला लम्बित है।

निविदा में दी गयी सभी जानकारी मेरे संज्ञान में है और पूर्णतया सत्य है। यदि निविदा में दी गयी कोई जानकारी भविष्य में असत्य या भ्रामक पायी जाती है, तो उसके लिए मैं पूर्णतया जिम्मेदार हूँ।

(बिडर)

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम -----

स्थान -----

पता -----

ई मेल -----

मोहर-----

मोबाइल न० -----



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)

(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: 17550225/ के० वि० सीतापुर/2015-16/निविदा/

दिनांक: 01.06.2015

संलग्नक - ब

## निविदा प्रपत्र

(सभी अंक रू0 में)

क्र०सं०	मेन पावर की श्रेणी	दैनिक पारिश्रमिक	ईपीएफ दर (यदि लागू हो)	ईएसआई दर (यदि लागू हो)	सेवा कर (यदि लागू हो)	सेवा प्रभार/ यूनीफार्म प्रभार / बोनस आदि ओवरहेड लाभ सहित	कुल दैनिक मजदूरी (कालम 3 +4 +5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दैनिक मजदूर (घास काटना/ मिट्टी, फावड़े का कार्य व अन्य कार्य/सहायक कार्य)						
2	दैनिक मजदूर (कारपेंटर)						
3	दैनिक मजदूर (इलेक्ट्रीशियन)						
4	दैनिक मजदूर (पलम्बर)						
5	दैनिक मजदूर (पेंटर)						
6	दैनिक मजदूर (मैसन/राजमिस्त्री)						

**नोट-** यदि इकाई दर और कुल कीमत में विसंगति है तो इकाई दर प्रभावी होगी।

हमने निविदा अभिलेख में दी गयी शर्तों आदि को विधिवत अध्ययन कर लिया है। मैं मेनपावर की सेवा देने के लिए सहमत हूँ और बिड दस्तावेज में दी गई नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार हूँ और संलग्न प्रपत्र में दिए गए करार से पूर्णतः सहमत हूँ।

मेरी एजेंसी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों /किसी भी प्रकार के संस्थान या कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है और ना ही किसी प्रकार का आपराधिक मामला लम्बित है।

निविदा में दी गयी सभी जानकारी मेरे संज्ञान में है और पूर्णतया सत्य है। यदि निविदा में दी गयी कोई जानकारी भविष्य में असत्य या भ्रामक पायी जाती है, तो उसके लिए मैं पूर्णतया जिम्मेदार हूँ।

(बिडर)

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

स्थान-----

नाम-----

पता-----

मोहर-----

ई मेल-----

मोबाइल न०-----